प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.04.2026

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 69141.46/- की धनराशि वापस करायी गई ।

दिनांक 09.04.2026 को साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री प्रनील निवासी थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई 69141.46/- रु धनराशि आवेदक को वापस करायी गई ।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक श्री प्रनील के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बधित मर्चेन्ट से पत्राचार व अन्य प्रयासों के बाद दिनांक 09.04.2026 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 69141.46/- रू की धनराशि साइबर सेल टीम थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गया । आवेदक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक आकर थाना प्रभारी महोदय एवं पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 10.04.2026 को थाना मुरादनगर पर वादिया ने तहरीर दी कि अभियुक्त साहिल द्वारा अपनी पत्नी अनीशा के साथ लडाई झगडा करना जिससे परेशान व आहत होकर अभियुक्त साहिल की पत्नी / वादिया की भाभी अनीशा उपरोक्त द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेना । उक्त सूचना पर तत्काल थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा-108 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी ।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.04.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त साहिल पुत्र स्व0 तबारक अंसारी निवासी बगरई थाना रजप्पा जिला रामगढ (झारखंड) हाल पता किराये का मकान

पुरानी धर्म शाला के सामने कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त साहिल उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी शादी करीब 02 वर्ष 06 माह पहले अनीशा से हुई थी तब से ही मेरी अपनी पत्नी अनीशा से किसी न किसी बात को लेकर या छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होती रहती थी जिस पर वह मुझे बात-बात पर मरने की धमकियां देती रहती थी। दिनांक 04.04.2026 को मेरी पत्नी अनीशा से मेरी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी जिस पर मेरी पत्नी अनीशा मुझे फांसी लगाकर मरने की धमकी दे रही थी तो मैंने भी गुस्से में आकर उससे बोल दिया थी कि जा मर जा। उसी दिन उसने गुस्से में आकर फांसी लगा ली थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अभियुक्त साहिल पुत्र स्व0 तबारक अंसारी निवासी बगरई थाना रजप्पा जिला रामगढ (झारखंड) हाल पता किराये का मकान पुरानी धर्म शाला के सामने कस्बा / थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में प्रकाश में आये 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.04.2026 को वादी श्री लखन निवासी संगम विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. प्रीत गुर्जर पुत्र सत्येन्द्र निवासी सोम बाजार 2.सिम्मी पुत्र सुनील दत्त निवासी संगम विहार 3. शिवम पंडित द्वारा वादी के भाई के साथ जातिसूचक शब्द बोलते हुए गाली-गलौज करना तथा अभियुक्त प्रीत गुर्जर द्वारा असलाह निकाल कर फायरिंग करना जिससे वादी के भाई आकाश के दाहिने पैर की जाँघ के ऊपरी हिस्से पर गोली लग जाना तथा जान से मारने की धमकी देते हुये भाग जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 11.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 02 अभियुक्त 1. रोहित पुत्र ललित वर्मा निवासी शिव विहार करावल नगर उम्र करीब 18 वर्ष 2. हिमांशू पुत्र मनोज कुमार निवासी परमहंश विहार राजीव गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को नहर रोड अण्डरपास थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु तलाश की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 05.04.2026 को हमारी व हमारे दोस्त प्रीत की आकाश के साथ कहासुनी हो गयी थी जिसमें आवेश में आकर प्रीत द्वारा अपना तंमचा निकालकर फायर कर दिया जिस कारण यह घटना घटित हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता–

1. रोहित पुत्र ललित वर्मा निवासी शिव विहार करावल नगर उम्र करीब 18 वर्ष
2. हिमांशू पुत्र मनोज कुमार निवासी परमहंश विहार राजीव गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

आज दिनांक 12.04.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त नाजिम पुत्र इलियास निवासी जमालपुरा थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह अवैध तमंचा रौब जमाने और शौक के लिये अपने पास रखा हुआ था जिसे मैंने अमन उर्फ शादाब नामक व्यक्ति से लिया था। मैं इस अवैध तमंचा व कारतूस को लेकर निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

नाजिम पुत्र इलियास निवासी जमालपुरा थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में थाना लोनी पर चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 05.03.2026 को वादी श्री सोनू कुमार निवासी प्रहलाद गढ़ी द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर लिखित तहरीर दी और बताया कि 05.03.2026 की रात्रि को किसी अज्ञात चोर द्वारा मेरी मोटरसाइकिल चोरी कर ली है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया जिसके क्रम में दिनांक 11.04.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1.राहुल पुत्र नरोत्तम सिह निवासी कनावनी सर्वोत्तम स्कूल के पास थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष 2. आदित्य सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी आदित्य वर्ल्ड सिटी सै0 03 म0नं0 एल 150 थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को महावीर चौक से मैट्रो स्टेशन वाले रोड पर चोरी की 01 मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तों ने पूछताछ मे बताया कि साहब हम दोनों नशे के आदी हैं, हमने यह मोटर साइकिल हम दोनो ने मिलकर पिछले महीने प्रहलादगढी से चोरी की थी आज हम लोग नशे का सामान खरीदने के लिए इस मोटरसाइकिल को बेचने जा रहा था आपको देखकर हम डर गये थे इसलिए पीछे मुडकर भाग रहे थे कि रास्ते में आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. राहुल पुत्र नरोत्तम सिह निवासी कनावनी सर्वोत्तम स्कूल के पास थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
2. आदित्य सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी आदित्य वर्ल्ड सिटी सै0 03 म0नं0 एल 150 थाना वेबसिटी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
2. अभियुक्त आदित्य सिंह उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद ,नोएड़ा दिल्ली एनसीआर में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 05 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।